BANDA POLICE

-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2019 में दहेज हत्या मामलें में 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 07-07 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2019 में दहेज हत्या मामलें में 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 07-07 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 19.08.2019 को थाना खन्ना जनपद महोबा के रहने वाले प्रीतम सिंह द्वारा थाना नरैनी पर अपनी पुत्री की दहेज के लिए उसके ससुरालीजनों द्वारा दिनांक 06.07.2029 को मिट्टी का तेल डालकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना नरैनी पर मु0अ0सं0 156/19 धारा 498ए/304बी/504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री कुलदीप गुप्ता द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचना के क्रम मे विवेचक द्वारा प्राभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियोजक श्री श्रवण तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी प्रेम सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय जिला सत्र बांदा द्वारा 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. नन्हू उर्फ फुल्लू पुत्र रंजीत निवासी बिल्हरका थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. रंजीत सिंह उर्फ बापू पुत्र मोहन सिंह निवासी बिल्हरका थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. जयपाल सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी बिल्हरका थाना नरैनी जनपद बांदा।

अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 156/19 धारा 498ए/304बी/504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।